

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

संख्या :- 02 /06/कम्प्यू.अनुभाग-(बारह)/2019-21/05-परीक्षा/2018

लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2021

आवश्यक सूचना

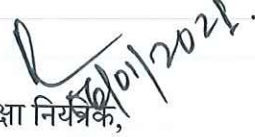
आयोग के विज्ञापन संख्या-05-परीक्षा/2018, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (संयुक्त संवर्ग) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 के अंतर्गत निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) एवं कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) के रिक्त पदों पर चयन हेतु चयन के अगले चरण की आशुलिपि व टंकण परीक्षा/ टंकण परीक्षा के लिए अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आशुलिपि व टंकण परीक्षा/ टंकण परीक्षा की तिथि से अवगत कराये जाने संबन्धी आयोग की सूचना संख्या-41/06/कम्प्यू.अनुभाग-(बारह)/2019-21/05-परीक्षा/2018, दिनांक 22-12-2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के क्रम में निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) एवं कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) की सम्पन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की आशुलिपि व टंकण परीक्षा/ टंकण परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संबन्धित अभ्यर्थियों की अगले चरण की आशुलिपि व टंकण परीक्षा/ टंकण परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12-01-2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में आयोजित की जायेगी-

क्रम सं०	तिथि	परीक्षा का समय	परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने का समय	अभ्यर्थियों की संख्या
1	12-01-2021	पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक।	पूर्वाह्न 08.00 बजे	261
कुल अभ्यर्थी				261

संबन्धित अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर जाकर संबन्धित लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। संबन्धित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित परीक्षा स्थल पर परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- अभ्यर्थियों के लिए निर्देश।


परीक्षा नियंत्रक,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

विज्ञापन संख्या- 05-परीक्षा/2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2018 के अन्तर्गत विज्ञापित आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) एवं कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)

1. अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व तलाशी ली जाएगी एवं परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 02 घण्टा पूर्व रिपोर्ट करना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से आधा घण्टा पूर्व अर्थात् प्रातः 09.30 बजे मुख्य प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा।
2. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने तक लगातार मास्क का प्रयोग किया जाना तथा परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव हेतु दिये गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
3. अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किये जाने तथा प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर सत्यापन किये जाने के उपरान्त सत्यापित अभ्यर्थी को ही टंकण/ टंकण व आशुलिपि परीक्षा में प्रतिभाग की अनुमति दी जाएगी। यदि सत्यापन के दौरान जांच में पाया जाता है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टंकण/ टंकण व आशुलिपि परीक्षा में प्रतिभाग करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता/पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। इस परीक्षा में आपको औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। अतः विज्ञापन में अर्हता/पात्रता को पढ़ कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर (टंकण/ टंकण व आशुलिपि परीक्षा के बाद भी) आप अनर्ह/अपात्र पाये जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
5. आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लायें अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना कोई एक आईडी0 डी0 प्रूफ0 उदाहरणार्थ- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पास पोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई0 डी0 कार्ड, जिस पर अभ्यर्थी की फोटो अवश्य हो, की मूल प्रति तथा उसकी एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो, लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात् आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, कोई एक मूल पहचान पत्र, पहचान पत्र की एक फोटो कापी, दो पास पोर्ट साइज फोटो तथा काला बाल प्वाइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान अनुमन्य नहीं होगा।
7. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन आदि को जमा कराये जाने की व्यवस्था केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फोन, आई0पैड, पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, कोई विद्युत सामग्री या तार को परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा।

8. टंकण/ टंकण व आशुलिपि परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र पर डेस्कटॉप कम्प्यूटर की व्यवस्था, केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की गई है, अतः अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर टंकण परीक्षा हेतु अपना कोई भी लैपटॉप/डेस्कटॉप/टाइपराइटर आदि लेकर नहीं आएंगे।
9. अभ्यर्थी अपना कोई की-बोर्ड अथवा की-बोर्ड स्टीकर (Sticker) साथ लेकर नहीं आएंगे। टंकण परीक्षा में किसी भी प्रकार के की-बोर्ड, स्टीकर आदि की अनुमति नहीं है।
10. अभ्यर्थी को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की टंकण/ टंकण व आशुलिपि गति व दक्षता परीक्षण हेतु परीक्षा देना तथा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम गति (जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है) प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
11. आशुलिपि परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित विशेषज्ञ द्वारा क्रमवार हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में श्रुतिलेख (Dictation) बोला जायेगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में नोट करते हुए, श्रुतिलेखन का समय पूर्ण हो जाने के उपरान्त, परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये डेस्कटॉप कम्प्यूटर पर टंकित किया जाना होगा।
12. अभ्यर्थी को हिन्दी की टंकण दक्षता परीक्षा मंगल फॉण्ट (Traditional, Devanagari) अथवा कृति देव फॉण्ट-10 पर ही देना होगा। टंकण दक्षता परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉण्ट स्वीकार्य नहीं है।
13. टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा।
14. अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात् अपने की-बोर्ड एवं माउस का परीक्षण कर सुनिश्चित हो ले कि की-बोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे है अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को सूचित नहीं करने की दशा में, परीक्षा पूर्ण हो जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत ग्राह्य नहीं होगी।
15. परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले अभ्यर्थी को दिये गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कम्प्यूटर पर ध्यान पूर्वक करें।
16. अभ्यर्थी कम्प्यूटर पर परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें तथा टंकण के दौरान Control (Ctrl) Key का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
17. यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा विषयवस्तु को रिक्रेश/रीलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित किया जाएगा।
18. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा की-बोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों का लॉग (Log) परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है, अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनधिकृत कार्यवाही की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
19. यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयन से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है, चाहें विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
20. अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम (Time out) अनुमन्य नहीं है।

21. टंकण परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर सिस्टम या की-बोर्ड में कोई तकनीकी त्रुटि आने पर अभ्यर्थी द्वारा तत्काल कक्ष निरीक्षक को इस संबंध में अवगत कराया जाए व अपने बैच की परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत विलम्बतम 30 मिनट के अन्दर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित आयोग के नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर लिखित शिकायत दी जाय। परीक्षा समाप्ति के 30 मिनट के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी की कोई शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। शिकायत प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत के संबंध में कक्ष निरीक्षक व कम्प्यूटर सिस्टम प्रभारी की आख्या (परीक्षा लॉग के आधार पर) प्राप्त की जाएगी व शिकायत सही पाये जाने की स्थिति में ही अभ्यर्थी को पुनर्परीक्षा की अनुमति देते हुए पुनर्परीक्षा की तिथि, पाली व समय से अभ्यर्थी को अवगत कराया जाएगा।